



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230480
CG-DL-E-18102021-230480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3938]
No. 3938]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4287(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2632(अ) दिनांक 30.06.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के रोहतास जिले में NH2 के कि.मी. 895.2 से कि.मी. 910.5 (रोहतास) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/4-लेन/6-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08.07.2021" को "दैनिक जागरण" और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के रोहतास जिले में NH2 के कि.मी. 895.2 से कि.मी. 910.5 (रोहतास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: रोहतास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शेयसागर				
	गांव का नाम: कंजूर				
1	268	निजी	आंशिक कृषि/आंशिक आवासीय	0.0744	सरयू सिंह पिता स्व० सुदर्शन सिंह (ii) मीरा देवी (iii) किरण देवी (iv) राजेश कुमार पिता सत्य नाम सिंह (v) उमेश पाठक पिता जगदीश पाठक (vi) किरण देवी पति कृष्ण प्रसाद सिंह (vii) त्रिपुरारी सिंह पिता स्व० रामनाथ सिंह (viii) गया सिंह पिता स्व० देवनाथ सिंह (ix) सुमती देवी पति प्रभुनारायण सिंह (x) गया सिंह पिता स्व० देव नाथ सिंह (xi) व्यास मुनि पिता स्व० देवनाथ सिंह (xii) परशुराम सिंह पिता स्व० राम भजन सिंह (xiii) त्रिपुरारी सिंह पिता स्व० रामनाथ सिंह (xiv) वीणा देवी पति सतेंद्र बहादुर सिंह (xv) शारदा देवी पति राम शंकर पांडे ()
			कुल	0.0744	

[फा. सं. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2021

S.O. 4287(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2632(E) dated 30.06.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH2 on the stretch of land from Km. 895.2 to Km. 910.5 (Rohtas) in the district of ROHTAS in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik jagran” and “The Times of India” both dated 08.07.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH2 in the stretch of land from Km. 895.2 to Km. 910.5 (Rohtas) in the district of ROHTAS in the state of BIHAR.

State: BIHAR		District: ROHTAS			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sheosagar				
	Village: Kanrjar				
1	268	Private	Partical Agriculture/ Partical Residential	0.0744	(i) Saryu Singh s/o Lt. Sudarshan Singh (ii) Mira Devi (iii) Kiran Devi (iv) Rajesh Kuamr s/o Saty Naam Singh (V) Umesh Pathak s/o Jagdish Pathak (vi) Kiran Devi w/o Krishan Prasad Singh (vii) Tripurari Singh s/o Ramnatha Singh (viii) Gaya Singh s/o Lt. Dewnatha Singh (ix) Sumti Devi w/o Prabhunarayan Singh (x) Gaya Singh s/o Lt. Dev Natha Singh (xi) Vyas muni s/o Lt. Devnath Singh (xii) Prashuram Singh s/o Lt. Ram Bhajan Singh (xiii) Tripurari Singh s/o Lt. Ramnatha Singh (xiv) Vina Devi w/o Satendra Bahadur Singh (xv) Sharda Devi w/o Ram Shanker Panday
			TOTAL	0.0744	

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D]

RAJESH GUPTA, Director